न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1614–पीबीआर/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 27–03–12 पारित अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 25/2010–11 अपील.

बद्रीप्रसाद आ0 गुन्जीलाल कुर्मी,
निवासी ग्राम रामनगर, तह0 सिरोंज,
जिला विदिशा, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

1– कमरलाल पुत्र भगवान सिंह ब्राह्म्ण
2– बाबूलाल पुत्र भगवान सिंह ब्राह्म्ण
3– हजारीलाल पुत्र भगवान सिंह ब्राह्म्ण
तीनों नि0 ग्राम खरेखोह, तह0 सिरोंज,
जिला विदिशा, म0प्र0
4– विशन प्यारी पुत्री भगवान सिंह ब्राह्म्ण
नि0 राजनखेड़ी तह0 सिरोंज
5– रामनारायण पुत्र भवानीसिंह
नि0 ग्राम पिपलियाहाट, तह0 सिरोंज
6– किशन पुत्र भवानीसिंह,
नि0 हाजीपुर, तह0 सिरोंज
7– तोरनसिंह पुत्र तुलाराम काछी
8– खुशीलाल पुत्र तुलाराम काछी
9– गोरेलाल पुत्र तुलाराम काछी
क. 7 से 9 नि0 ग्राम सफदलपुर,तह. सिरोंज
10–मदन पुत्र मथुरालाल
नि0 ग्राम संरेखोह, तह0 सिरोंज
11–मनोज पुत्र मथुरालाल
नि0 खरेखोह, तह0 सिरोंज ———मूल अनावेदकगण
12–रामबाबू पुत्र प्यारेलाल कुर्मी
13–बब्बू पुत्र प्यारेलाल कुर्मी
14–विष्णु पुत्र प्यारेलाल कुर्मी
15–मनोहर पुत्र प्यारेलाल कुर्मी
16–किशनलाल पुत्र गुन्जीलाल कुर्मी
17–चंदनसिंह पुत्र गुन्जीलाल कुर्मी
क0 12 से 17 नि0 ग्राम रामनगर,

तह0 सिरोंज, जिला विदिशा, म0प्र0
18–श्री गुमान सिंह पुत्र गन्धर्वसिंह
नि.सूरनताल तहसील सिरोंज जिला विदिशा ---- तरतीबी अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक – आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदक क0 1 से 3
श्री एम0पी0धाकड़, अभिभाषक– अनावेदक क0 4 से 6

आदेश

(आज दिनांक २० जुलाई ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण कमांक 25/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27–03–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सरेखोह स्थित भूमि खसरा नं0 14 रकबा 2.238 हे0 एवं सर्वे क0 15 रकबा 0.278 हे0 के भूमिस्वामी भगवानसिंह एवं भवानीसिंह थे। वर्तमान में उक्त सर्वे नम्बर 14 भूमि सर्वे नं0 14/1 रकबा 1.119 हे0 एवं 14/2 रकबा 1.119 हे0 अंकित है। उक्त भूमि पर अधिपति कृषक के आधार पर भूमिस्वामी दर्ज करने हेतु आवेदक तथा अनावेदक क0 12 से 17 ने तहसील न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने प्राथमिक तर्क श्रवण के बाद अपने आदेश दिनांक 23–03–09 व्दारा दावा प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक कमशः 18–08–2010 तथा 27–03–2012 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के पिता का नाम अधिपति

कृषक के रूप में संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 2–10'59 के पूर्व से अंकित चला आ रहा है। आवेदक के पिता की मृत्यु के उपरान्त आवेदक को भूमि पर अपना नाम अंकित कराने का पूर्ण अधिकार है। उनका तर्क है कि तहसील न्यायालय ने बिना साक्ष्य एवं प्रतिसाक्ष्य लिये आवेदक का आवेदनपत्र खारिज करने में त्रुटि की है। संहिता की धारा 190/110/169/189 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। उनका यह भी तर्क है कि व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–03–1983 में अनावेदकगण के पिता को प्रश्नाधीन भूमि का आधित्यधारी नहीं माना है, किन्तु तहसील न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के निर्णय को अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों का कब्जा है और भगवानसिंह एवं भवानीसिंह की मृत्यु के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकों को विधिवत राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण किया गया है जिसके संबंध में आवेदक व्दारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की। उनका यह भी तर्क है कि गुंजीलाल की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान का प्रश्नाधीन भूमि पर किसी प्रकार से आधिपत्य नहीं रहा। व्यवहार वाद के निर्णय के बाद गुंजीलाल व्दारा नामान्तरण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये 12 वर्ष उपरान्त आवेदक को व्यवहार वाद का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। उनका अन्त में तर्क है कि कब्जे/मौरूषी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार का दावा निर्णीत करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है और इस संबंध में उन्होंने मेरा ध्यान 2009 रा0नि0 242 की ओर आकर्षित किया। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर उनके पिता गुन्जीलाल का नाम खसरे में अधिपति कृषक के रूप में अंकित होने से भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने से

नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है, किन्तु खसरे में गैर–काबिज अंकित किया गया है, इसलिये ऐसी प्रविष्टि के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का आधिपत्य होना नहीं माना जा सकता। व्यवहार वाद के निर्णय के बाद गुंजीलाल व्दारा नामान्तरण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये 12 वर्ष उपरान्त आवेदक को व्यवहार वाद का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अनावेदकों व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर भगवानसिंह की मृत्यु के बाद विधिवत वारिसान नामान्तरण होना और प्रश्नाधीन भूमि पर उनका आधिपत्य होना बताया गया है। आवेदक बद्रीप्रसाद व्दारा तहसील न्यायालय में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर उनका आधिपत्य होना प्रथमदृष्टया माना जा सके। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक बद्रीप्रसाद का नाम ना तो मौरूषी कृषक के रूप में अंकित है और ना ही बद्रीप्रसाद का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। विमलाबाई चौधरी वि0 राजस्व मण्डल तथा अन्य (2009 रा.नि. 242) में मान. उच्च न्यायालय ने 2001 रा.नि. 343 (उच्च न्यायालय), 1978 रा.नि. 12 (उच्च न्यायालय), 1991 रा.नि.114 (उच्च न्यायालय) तथा 1997 रा.नि. (उच्च न्यायालय) को अवलंबित करते हुए यह व्यवस्था दी है कि –

"भू–राजस्व संहिता 1959– धारा 190/110, 185 तथा 257(ण)– व्यक्ति ने स्वयं को मौरूषी कृषक होना अभिकथित करते हुए भूमिस्वामी अधिकार का दावा किया– उसके व्दारा मौरूसी अधिकार का अर्जन भूमिस्वामी व्दारा विवादित– राजस्व न्यायालय व्दारा भूमिस्वामी अधिकार का प्रदत्त किया जाना आदेशित नहीं किया जा सकता है– उसे मौरूषी अधिकार सिध्द करने के लिए सिविल न्यायालय के पास पहुँचना होगा।"

मान. उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था के प्रकाश में तहसील न्यायालय व्दारा आवेदक का आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों व्दारा यथावत रखा गया है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27–03–12, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18–08–10 तथा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 23–03–09 यथावत रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,